

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री धनराज

विपक्षी :- श्री अनुपसिंह

किस्म मुकदमा - 128 भू.रा.अधि.

पत्रावली संख्या : 43/21

GCMS: 2021/780

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 12.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के सम्मन रजिस्टर्ड Ad. से करा रसीद पेश की गई। विपक्षीगण संख्या 2, 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2, 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। प्रकरण में प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थीगण की बहस को सुना। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। प्रार्थीगण के कथनानुसार विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पड़ोसी है। इस कारण विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

-: आदेश :-

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वरणी पटवार हल्का सालेड़ा, तहसील भीण्डर उदयपुर राज. में आराजी नम्बर 744/1, 1843 किता 1 रकबा 04 बिघा भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 500/- पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में भू-प्रबंधन के बाद बने नये खसरा नंबरान के आधार पर पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय सुनाया गया।



(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) भीण्डर  
सहायक कलक्टर  
भीण्डर

